

369 Bills Introduced CHAITRA 29, 1976 (SAKA) Bills Introduced 370
17.28 hrs. 17.37 hrs.

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL*

[AMENDMENT OF SECOND SCHEDULE]

SHRI M. C. DAGA (Pah): I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

MR. CHAIRMAN: The question is—

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the pathy Central Council Act, 1973”.

The motion was adopted.

SHRI M. C. DAGA (Sir): I introduce the Bill

MR. CHAIRMAN: Shri Madhu Limaye He is not here. Shri Ranu Bahadur Singh He is not here. Shri Panda.

17.37 hrs

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL*

[AMENDMENT OF SECTION 80 AND INSERTION OF SECTION 80A]

SHRI D. K. PANDA (Phanjnagar): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure 1908

MR CHAIRMAN The question is—

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908”

The motion was adopted.

SHRI D. K. PANDA: Sir I introduce the Bill.

*Published in Gazette of India, dated 16-4-76.

MOTHER'S LINEAGE BILL—contd.

MR. CHAIRMAN: Now, we take up further consideration of the following motion moved by Shri Madhu Limaye on the 5th April, 1974:—

“That the Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother, be taken into consideration.”

There is one amendment in the name of Shri Daga. Are you moving the amendment?

SHRI M C DAGA (Pah): Sir, I move:

“That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 3rd August, 1974.”
(1)

MR. CHAIRMAN: Since Shri Limaye is not here I have given permission to Shri Daga to move his amendment. Shri Madhu Limaye was on his legs last time.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Shri Limaye has already spoken.

MR CHAIRMAN: But he has not concluded. There is a problem now about the Private Members' Business. The Bihar discussion has taken so long. And so, if we have to take up the Private Members' Business, it means the House will have to sit upto 8 O'clock I would like to know the pleasure of the House.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): I had a talk with my friends on this. Opposite side I think we shall go on till 12.30 hours if there are speakers. Or else, let us go on till 18 hours.

Extraordinary, Part II, Section 2,

MR. CHAIRMAN Is there anybody else who wants to speak on Shri Limaye's Bill? I think Shri S. P. Bhattacharyya wants to speak on the Bill.

SHRI S. P. BHATTACHARYYA (Uluberia): Mr. Chairman, Sir, I rise to support Shri Limaye's Bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother. He has brought forward this Bill for a noble cause for the reasons stated in the Bill. He has quoted the story of the 'Jabali', a maid servant in the ashram of sages Satyakam, the son of Jabali, was a respected sage. This son of his mother when questioned about the identity of his father pleaded ignorance, went to his mother and when informed that she could not say definitely who his father was, came back and gave a truthful account of what his mother had told him. He was respected as an honoured sage.

The main purpose of the Bill is that in our country, even now, we do not give the self-respect to the new-born children. In our Childrens Adoption Bill we have tried to give some respect to the boys or girls who are born without a proper social custom. Shri Madhu Limaye has brought this thing with a noble ideal so that it must not be compulsory that a boy must give his introduction or a female child must give her introduction in the name of her father. Mother is sufficient to do that. Mother's name is sufficient and that should be honoured. I fully support it. I think respect must be given to the new-born child without considering whether he has a known father or not because a new born child is pure and honest. I fully support the Bill. I think Government should consider the mood of the Bill and should give it proper implementation.

MR CHAIRMAN Shri M C Daga

श्री मुलचन्द डागा (पानी): महापति जी इस बिल के बारे में मुझे दो बातें कबनी हैं।

जो बिल पेश किया गया है, उसके माबजेक्ट्स कुछ अलग हैं और बिल की जो बात है, उसके जो बेबजस हैं वह अलग हैं। बिल के माबजेक्ट्स में यह कहा गया है

"The concept of "illegitimacy" and the practice of tracing one's lineage solely from the father's side is one such reactionary and fossilized concept. The reactionary attitudes which form the unspelt basis of the present official and non-official practices and decisions of the courts will have to be discarded completely if the egalitarian principles of the Constitution are to inform and elevate our social life"

प्राज तक मैंने कोई भी ऐसा डेमीशन सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का नहीं पढ़ा या कहीं भी ऐसा डेमीशन नहीं सुना है जिसमें यह कहा हो कि इन्वेजिटिमेंट चाइल्ड का कहीं पैदा करने से या नाम लिखने से इनकार कर दिया हो। प्राज तक यह बात नहीं हुई कि किसी ने जा कर यह कहा हो कि मेरे पिता का नाम मुझे नहीं पता है और उसको कह दिया हो कि तुम्हारा पैदाई नहीं करेगे। मबान यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर, सामाईटी के अन्दर एक घर होता है और उसमें पति पत्नी दोनों के मबजस से बच्चा होता है, उसकी गवाहोनी है। लेकिन इन्वेजिटिमेंट चाइल्ड की रखा करने वाला कौन होगा? यह सब बड़ा माबल है जैसे मिस्टर बी.जी. तो जानते हैं कि जिनका कुटुम्ब है, कुटुम्ब के अन्दर बच्चा पैदा होता है या कोई बच्चा पैदा होता है तो वह अकेले न बाप का है न अकेले मा का है, दोनों का है। जब दोनों का संबंध होता है तब बच्चा पैदा होता है और उस चाइल्ड का फैमिली या वह कुटुम्ब बंधेन करता है।

... (अबबचान) ... अपनी सोसाईटी के

अन्धर जो फेमिली लाइफ है वह एक मोघ इन्स्टीट्यूशन है और उस इन्स्टीट्यूशन को कायम रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि या फिर ऐसा प्रापाज होना चाहिए देश के अन्दर उनकी ओर से कि फेमिली लाइफ को खत्म कर देना चाहिए और जैसे कि हमारे कई लोग जो शादी किए हुए नहीं हैं ऐसे ही उनकी कहना चाहिए कि लोग शादी न करे, मैरिज की इन्स्टीट्यूशन का खत्म कर दिया जाये। यह बहुत बड़ा सबान इसमें पैदा होता है। आज आप इस बिल का पास करने के पहले इल्लेजिटिमेसी का बड़ावा देना चाहते हैं और उसके लिए आप यह तरीका भी अख्तियार करने कि मैरिज जा एक साधल इन्स्टीट्यूशन है उसका आप खत्म करदे ता यह बात कुछ समझ में नहीं आती है। मैं अभी इस बात का समझाने को कोशिश करूंगा जितना मैं किताबा से समझता हू। इसका जा परपज है वह यह है कि

"After the coming into force of the Act, it shall be lawful for any citizen of India to refuse to fill a form requiring him or her to give him or her father's name or her husband's name and which does not give him or her the option to give the name of his or her mother"

यह प्रश्न और तरह का है। आजकल का समाज सब समझता है। लेकिन समाज में यह जो आप कहने हैं कि इल्लेजिटिमेट जो भील्लेन है समाज में उन के लिए आदर होना चाहिए तो यह ही बिलकुल सानी हुई बात है कि आजकल का समाज अपना बिकास कर रहा है, क्या आप यह कहना शुरू कर देंगे कि आज

से हिन्दुस्तान के अदर सारी फेमिलीज जो है उनके अदर शादी नहीं होनी चाहिए ?

श्री राम रतन शर्मा (बादा) मानसता न्यक समाज की स्थापना हो, यह उन्होंने लिखा है और मातृ सत्तात्मक तथा पितृ-सत्तात्मक दोनों समाज हमारे बहा पहले से चले आ रहे हैं। आप जानने नहीं हैं।

श्री बलचन्द्र शर्मा : मैं जैसा समझा हू वह बता रहा हू। जो एम० पी० सब बैठे हैं इन का नाम मा के नाम से लेना चाहिए, यह अच्छी बात आप कह रहे हैं.. (अवधान) ..

मैं न यह कहा कि चाइल्ड पर मा और बाप दोनों का अधिकार है और दोनों का जा नाम है उन दोनों के नाम से होना चाहिए। आप जो यह कहना चाहते हैं कि अगर कोई इल्लेजिटिमेट चाइल्ड हा गया है समाज में तो उसका निरादर नहीं होना चाहिए, यहा तक तो मैं मानता हू। लेकिन हमारे देश के अन्दर और जहा डाइवर्स की प्रथा है यू० एस० ए० के अन्दर 70 परसेट डाइवर्स बहा होने लग गए। वहा क्या हालत हो गई? वहा पर फेमिली इन्स्टीट्यूशन खत्म हो गई, लडके का स्वास्थ्य बिकास अभी हो सकता है जब मां और बाप दोनों का प्रेम होता है... (अवधान)... आप क्या बोलना चाहते हैं? आप कह लीजिए तब मैं बोलू... (अवधान)...

[श्री मूल चन्द्र डाया]

If he says this is not the purpose of the Bill, let him say what the purpose is . . . (Interruptions) Let him say what the purpose of the Bill is and then I shall follow.

MR CHAIRMAN: If I permit him to speak in that case he will not be able to continue his speech

SHRI R. R. SHARMA: Kindly give me a few minutes.

He can have his say afterwards.

[श्री मूल चन्द्र डाया]

इस के अन्दर उन्होंने क्या कर दिया। आग जाने के बाद कि भारत का अयन षटि का नाम बनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह कह दिया कि अंगत को यह भी जरूरी नहीं है कि अयन हर्बैड का नाम बनाए। अगर उनका कोई हर्बैड है तो उनका भी नाम देने से इनकार कर दे।

एक माननीय सदस्य हर्बैड का नाम लेते नहीं हैं हिन्दू समाज में।

श्री मूल चन्द्र डाया : उन में यह कर दिया और शायद यह उन के अन्दर परपत्र है

'to refuse to fill a form requiring him or her to give his or her father's name or her husband's name and which does not give him or her the option to give the name of his or her mother'

अगर आज हिन्दुस्तान में हम ने यह प्रथा शुरू कर दी कि हर अगह डाइवोर्स हो जायें और उनसे पूछा जायें कि तुम्हारा जो लड़का हुआ था तो तुम्हारे हर्बैड का क्या नाम था, उन्हें कहे कि मेरे हर्बैड

का नाम नहीं पूछ सकते, तो मैं समझता हूँ कि श्री फीमिली लाइफ़ हक़ने प्रथावा है, जो कुछ संस्कृति हक़ने कहाई है और भारतीय संस्कृति के जो पुजारी हैं जनसंघ वाले क्या वे चाहते हैं इस फीमिली इन्स्टीट्यूशन को नहीं मानना चाहिए? मैं तो अपनी तक बह समझता हूँ जहाँ तक इस बिल का सम्बन्ध है कि जो बच्चे कहीं किसी कारण से इल्लेजिटिमेट हो जायें उनका निराचर समाज में नहीं होना चाहिए—इस प्वाइण्ट को मैं भी मानता हूँ। अगर कोई बच्चा इल्लेजिटिमेट डग से हो गया है तो उसका लालन पालन गवर्नमेन्ट या समाज करे उससे रक्षाबन्ध नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कास्टीट्यूशन में भी नहीं है। अगर कार्ट नब्का इल्लेजिटिमेट है तो मैं समझता हूँ कास्टीट्यूशन में कहीं यह प्राविधान नहीं है कि उनको अधिकार कम हैं। कास्टीट्यूशन में उनका बराबर अधिकार हैं। एक मिनिटजन के जो राइट्स है वही उसके भी हैं। मैं न ता किसी भी कानून में नहीं पढ़ा है जिसमें यह हो। आप यह कहेंगे कि सक्सेशन और इन्हेरिटेंस का ला लागू नहीं होता है तो मैं समझता हूँ यह मवाल ऊपर है और ला आफ इन्हेरिटेंस और ला आफ सक्सेशन का लागू करने के लिए हमें सोचना होगा। जा हमारी फीमिली लाइफ़ है, जो हमारा एक इन्स्टीट्यूशन बना हुआ है उनमें अन्धर हम करे। जैसे पहले राजा महाराजा होती वे उनके एक तो बीमली सेठेक काइक होती थी और वह रबीन

भी रखते थे जिन्हें बच्चे होते थे तो उनकी भी हक ही जाये, इस बात का सवाल है। कानून उस इन्स्टीट्यूशन को बतल करवा चाहते हैं। तीसरी बेबेड लाइफ की तो देना चाहते हैं लेकिन कोई पास रखता है, उससे बच्चा ही गया, वह इल्लेजिटिमेंट चाहता है उसका भी अधिकार होगा, मैं समझता हूँ उसको अधिकार नहीं होना चाहिए सरसेजन और इन्वार्डेन्स में। जो बिल रखा है उसमें यह है :

"After the coming into force of this Act, it shall be lawful for any citizen of India...."

ला मिनिस्टर साहब बतायेंगे इल्लेजिटिमेंट चाहता के बारे में कि कौन सी बात किस बिल में है। वह फार्म फिल करके देता है, उसमें फादर का नाम नहीं है, वह लिखकर नहीं देता है तो क्या उसके लिए गवर्नमेंट सविस मना है? कही मना नहीं है। तो यह जो इल्लेजिटिमेंट चाहता होते क्यों हैं समाज में? कुछ लोग होते हैं जिनकी फौमिनी लाइफ नहीं होती है। अपने को बड़ा कान्तिकारी साबित करने के लिए यह बिल पेश किया है, तो हमारा जो फौमिनी लाइफ का इन्स्टीट्यूशन है ..

श्री एन० एच० बनर्जी (कानपुर) : प्रायः समझते हैं मधु मिश्रवे जी की फौमिनी लाइफ नहीं है।

श्री मूल सवाल डाला : इसमें मधु मिश्रवे जी की फौमिनी का सवाल नहीं है। हम जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। 426 L.S.—18.

*What is legitimacy?

"By determining the social placement of the child, the rules of legitimacy help to define the role obligations of adults to the child. The infant is a symbol of many important role functions among adults. It indicates an intimacy between parents, and its existence makes continuing demands on a network of adults."

SHRI S. M. BANERJEE: Read the whole thing. You are reading only a portion.

SHRI M. C. DAGA: Yes. It says:

"If the child has no acknowledged father, or the "wrong" father, these obligations are ambiguous or unmet, or run counter to already established duties. The already married father of an illegitimate child cannot take care of it without failing to some extent in his obligations to this own family, even if he is wealthy. The child whose parents are not married does not belong to the father's family, and neither the father nor his family needs to meet more than minimal legal obligations to the child. The child's position is ambiguous,...."

MR CHAIRMAN: If you go on reading it, it will consume the entire time. If you want to read it in full, you may read it to them outside the House.

श्री मूल सवाल डाला : उन्होंने बताया कि इटनी में जब कानून लागू किया उसके पहले 1956 में इल्लेजिटिमेंट चाहता 16 परसेन्ट थे और 1968 में 58 परसेन्ट हो गए। पेरू में 43 परसेन्ट इल्लेजिटिमेंट चाहता हैं। इससे पता चलता है हिन्दुस्तान में इस कानून को लागू करने में क्या फायदा हो सकता है। कोलंबिया में 28 परसेन्ट, पनामा में 71 परसेन्ट हैं। मैं ने

[श्री मूल बन्ध डामा]

यह बताने की कोशिश की है कि उन रुन्द्रीज में क्या हालत हुई है। जहाँ पर इल्लजिटिमेंट चिल्ड्रेन पैदा होते हैं वहाँ कोई ज्यादा गान्ति हुई हो, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर फैमिली लाइफ ठीक नहीं होती है वहाँ पर ही यह ज्यादातर होता है।

MR CHAIRMAN How long will you take to conclude? Or are you concluding?

SHRI M C DAGA 15 minutes more

MR CHAIRMAN We have to rise at 6 O'clock Therefore, I would like to know the pleasure of the House, whether they would like the House to continue to sit for some more time

SHRI K RAGHU RAMAIAH We may adjourn

18 00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the April 22, 1974/Vaisakha 2, 1896 (Saka)